



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941

No. 4133]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4619(अ).—प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जनवरी 2020 की 24 तारीख को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, नामतः-

क्र.सं.	धाराएं
1	धारा 17 से धारा 19 (इनमें दोनों शामिल हैं)

[फा.सं.3/1/2017-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 4619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016), the Central Government hereby appoints the 24th day of January, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

S. No.	Sections
1	Section 17 to Section 19 (both inclusive)

[F. No. 3/1/2017-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.